मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ–226005
दूरभाष : 0522–2306082. फैक्स : 0522–2306126, 2306085. ई–मेल : igprisons-up@nic.in

परिपत्र सं0– 16 /सामा–2(1)/भोजन गुणवत्ता दिनांक: 26-7-2021

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय:– प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को निर्धारित मानक व मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के भोजनार्थ आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्रियॉ (गेहूँ एवं चावल) की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने एवं बंदियों को निर्धारित मानक व मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराये जाने विषयक इस कार्यालय द्वारा पूर्व में समय–समय पर अनेकों निर्देश जारी किये गये है। संज्ञान में आया है कि कतिपय कारागारों द्वारा बंदियों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसके कारण बंदियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं समय–समय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं जनपदीय निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा भी आपत्ति जतायी जाती है।

कारागारों में बन्दियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब होने, मानक के अनुरूप तथा निर्धारित मात्रा में भोजन न दिए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न परिपत्रों द्वारा समय–समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों में कमी परिलक्षित नहीं हो रही है।

अतः निर्देश दिए जाते है कि कारागार में निरूद्ध बन्दियों को निधारित मानक व मात्रा के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएं। प्रत्येक दिन सब्जियों एवं दालों को पूर्व निर्गत परिपत्रों के अनुसार परिवर्तित करके बंदियों को दिया जाये । बंदियों को दिया जाने वाला सुबह का नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि का भोजन गुणवत्तापूर्वक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर अधीक्षक एवं जेलर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार अपनी–अपनी परिक्षेत्र की कारागारों में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कारागारों के निरीक्षण के समय यह अवश्य देखेगें कि बन्दियों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा हैं। कृपया परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाए।

23/7/21

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।